इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए
(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या 14 अंक संख्या 2 सितम्बर, 2021 पृष्ठों की संख्या 19

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ----------4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ----------5
विनियामकों के कथन ----------7
आर्थिक संवेष्टन ----------8
विदेशी मुद्रा ----------9
शब्दावली ----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------10
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------10
नयी पहलकदमी ----------15
बाजार की खबरें ----------15

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

वित्तीय समावेशन को प्रदर्शित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरूआत

देश में प्राप्त वित्तीय समावेशन के स्तर को मापने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वार्षिक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) - एक ऐसे एकल मूल्य वाले मापदंड की शुरूआत की है जिसमें 0 से लेकर और 100 की श्रेणी का समावेश है तथा 0 सम्पूर्ण वित्तीय वंचन का प्रतिनिधित्व करता है और 100 सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन का प्रतिनिधित्व करता है। उक्त सूचकांक के परिणाम प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किए जाएंगे और जिनमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाकघर एवं पेंशन क्षेत्र का समावेश होगा। वित्तीय समावेशन का निर्धारण करने के लिए वित्तीय समावेशन का निर्धारण करने के लिए पहुँच (access) (35%), उपयोग (usage) (45%) और गुणवत्ता (quality) (20%) जैसे भारित मापदण्डों का उपयोग किया जाएगा। वित्तीय समावेशन के लिए किसी आधार वर्ष पर विचार नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लाकर प्रबंधन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने लाकर प्रबंधन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश ये दिशानिर्देश 1ली जनवरी, 2022 से सभी बैंकों में नए और मौजूदा, दोनों ही सुरक्षित जमा लाकरों पर लागू होंगे। संशोधित अधिदेशों के अनुसार बैंकों को लाकरों के आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोर बैंकिंग समाधान (CBS) में प्रतीक्षा सूची के अलावा रिक्त पड़े लाकरों की एक शाखा-वार सूची रखनी होगी। कोई लाकर आबंटित करते समय बैंक

को एक ऐसी सावधि जमा प्राप्त करने की अनुमति होगी जिसमें तीन वर्षों के किराए और किसी वैसी घटना होने की स्थिति में लाकर को तोड़ कर खुलवाने के प्रभारों का समावेश होगा।

कोविड पुनर्व्यवस्था योजना 1.0 के अधीन लक्ष्य प्राप्ति की तिथियाँ बढ़ाई गईं

कोविड-19 की दूसरी लहर के दुष्परिणामों की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड समाधान ढांचा 1.0 के तहत विविध मापदण्डों की प्राप्ति की लक्ष्यांकित तिथि बढ़ा दी है। दूसरी लहर ने व्यवसाय पुनरुज्जीवन पर जो प्रभाव छोड़ा है उसे तथा परिचालनात्मक मापदण्डों को समय पर पूरा करने में उसके द्वारा निर्मित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये अब लक्ष्यांकित तिथि 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 1 अक्तूबर, 2022 कर दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी पुनर्भरण न करने हेतु एटीएमों पर जुर्माना लगाये

भारतीय रिजर्व बैंक 1 अक्तूबर, 2021 से एटीमों का पुनर्भरण (replenishment) न किए जाने के लिए जुर्माने की योजना को कार्यान्वित करने वाला है। इस योजना के अधीन बैंकों और श्वेत लेबल एटीएम प्रचालकों को किसी एक माह में 10 घंटों से अधिक नकदी निकाल लिए जाने (cash-out) के कारण उसकी अनुपलब्धता पर प्रति एटीएम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शीर्ष बैंक ने बैंकों से नकदी की अनुपलब्धता के कारण उनके एटीएम बंद पड जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग को प्रणाली-निर्मित एक विवरण भी प्रस्तुत करने हेतु कहा है, जबकि श्वेत लेबल एटीएमों के मामले में बैंकों को नकदी निकाल लिए जाने के कारण उसकी अनुपलब्धता के संबंध में एक अलग विवरण प्रस्तुत करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत-नेपाल विप्रेषण योजना में परिवर्तन किए

भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक भुगतानों की शुरूआत करने तथा नेपाल को इलेक्ट्रोनिक विधि से व्यक्ति से व्यक्ति तक विप्रेषणों को सुगम बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना को 1 अक्तूबर, 2021 से प्रवृत्त होने के लिए संशोधित कर दिया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति लेनदेन की उच्चतम सीमा चार गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है तथा प्रति विप्रेषक एक वर्ष में 12 विप्रेषणों की सीमा को हटा दिया गया है। बैंकों द्वारा अकस्मात (walk-in) ग्राहकों अथवा ग्राहकेतर व्यक्तियों द्वारा नकदी के माध्यम से विप्रेषणों को स्वीकार किया जाएगा। तथापि, ये एक वर्ष में अधिकतम

12 विप्रेषणों सहित प्रति लेनदेन 50,000 रुपए की उच्चतम सीमा की शर्त पर होंगे।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक-रहित ऋण बढ़ाए गए

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)) के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को संपार्श्विक-रहित ऋण पूर्ववर्ती 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिये गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के मामले में स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाते पर कोई धारणाधिकार (lien) चिन्हित नहीं किया जाएगा अथवा उनसे कोई संपार्श्विक नहीं ली जाएगी। सम्पूर्ण ऋण सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (CGFMU) के तहत (बीमा) रक्षा (coverage) के लिए पात्र होगा।

चालू खाते के मानदंड शिथिलीकृत और कार्यान्वयन की समय-सीमा बढाई गई : भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू खाते खोलने के लिए नए दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु बैंकों को 31 अक्तूबर, 2021 तक का समय दे दिया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन्होंने किसी बैंक से नकद ऋण (उधार)/ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं प्राप्त की है, उन उधारकर्ताओं के प्रति बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर 5 करोड़ रुपए से कम होने पर किसी बैंक द्वारा चालू खाता खोले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन उधारकर्ताओं के मामले में जिन्होंने किसी बैंक से नकद ऋण/उधार/ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं प्राप्त की है तथा बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर 5 करोड़ रुपए से अधिक किन्तु 50 करोड़ रुपए से कम है, ऋणदाता बैंकों पर ऐसे उधारकर्ता द्वारा चालू खाता खोले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को सिक्के वितरित करने वाले बैंकों को प्रोत्साहन बढाया

बैंक ने 1 सितंबर, 2021 से सामान्य जनता को सिक्के वितरित करने हेतु बैंकों के दिये जा रहे प्रोत्साहन को पूर्ववर्ती प्रति थैला 25 रुपए से बढ़ाकर प्रति थैला 65 रुपए कर दिया है। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में किए गए सिक्का वितरण के लिए प्रति थैला 10 रुपए का एक अतिरिक्त

प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस अतिरिक्त प्रोत्साहन का भुगतान किसी लेखा-परीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी मुद्रा-तिजोरी (currency-chest) के निरीक्षण के दौरान अथवा शाखाओं के प्रच्छन्न रूप से (incognito) दौरों के दौरान सिक्कों के वितरण का भी सत्यापन किया जाएगा।

भुगतान की मूलभूत सुविधा विकास निधि की प्रारक्षित निधि में अब प्रधान मंत्री स्वावलंबन निधि कार्यक्रम के हिताधिकारी भी शामिल होंगे

बिक्री केंद्र (PoS) की मूलभूत सुविधा के अभिनियोजन द्वारा टियर 1 और टियर 2 केन्द्रों में प्रधान मंत्री स्वावलंबन निधि (PM SVaNidhi) कार्यक्रम में शामिल अधिकतम रेहड़ी फेरीवालों (street venders) का समावेश करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान की मूलभूत सुविधा विकास निधि (PIDF) योजना के टियर 1 और टियर 2 केन्द्रों में चुनिन्दा रेहड़ी फेरीवालों (स्ट्रीट वेंडरों) तक विस्तार की घोषणा की है। टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के रेहड़ी फेरीवालों को पहले की तरह इस योजना में शामिल रखा जाएगा।

निजी बैंकों के प्रमुख/महत्वपूर्ण अधिकारियों को प्रतिकर के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि निजी बैंकों द्वारा अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, पूर्णकालिक निदेशकों तथा अन्य प्रमुख/महत्वपूर्ण (key) अधिकारियों (officials) को भुगतान किए जाने वाले शेयर-सम्बद्ध प्रोत्साहनों के उचित मूल्य की पहचान संबन्धित लेखांकन अवधि के दौरान खर्च के रूप में की जानी चाहिए। ये निर्देश 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली लेखांकन अवधि के बाद प्रदत्त सभी शेयर-संबद्ध लिखतों के संबंध में स्थानीय क्षेत्र बैंकों (LABs), लघु वित्त बैंकों (SFBs) और विदेशी बैंकों सहित सभी बैंकों के लिए भी अनिवार्य कर दिये गए हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली के प्रचालकों द्वारा बाह्यस्रोतीकरण प्रक्रियाओं में जोखिमों
का प्रबंधन करने हेतु रूपरेखा तैयार की

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली प्रचालकों (PSOs) द्वारा भुगतान एवं समाधान से संबन्धित कार्यकलापों के बाह्यस्रोतीकरण (बाहर से करवाए जाने) के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। अन्य बातों के साथ ही इस रूपरेखा का मुख्य उद्देश्य भुगतान और समाधान से संबन्धित कार्यकलापों को बाहर से करवाए जाने पर पैदा होने वाले जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए न्यूनतम मानक उपलब्ध कराना, सेवा-प्रदाता के अभिरक्षण अथवा कब्जे में रखी गई ग्राहकों की सूचना की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना तथा ग्राहक से संबन्धित गोपनीय सूचना के किसी भी प्रकार से सुरक्षा भंग (breach of security) या क्षरण (leakage) के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को तत्काल सूचित करना है। भुगतान प्रणाली के प्रचालकों को उनकी समस्त बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाओं को उक्त रूपरेखा का अनुपालक बनाने के लिए 31 मार्च, 2022 तक की अंतिम तिथि दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड लेनदेनों को टोकनीकृत करने का कार्य आरंभ करने में सहायता करने हेतु और उपकरण शामिल किए

टोकनीकृत कार्ड लेनदेनों के लिए परिवेश को विस्तारित करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने अब उसके लिए अनुमत उपकरणों के प्रकार को बढ़ा दिया है। तदनुसार, अब लैपटापों, डेस्कटापों, परिधेयों (wearables) (यथा- कलाई घड़ियों, पट्टियों आदि) और इन्टरनेट के माध्यम से परस्पर जुड़े उपकरणों (IoT) जैसे उपभोक्ता उपकरणों से शर्तों के अधीन टोकनीकृत कार्ड लेनदेनों की शुरूआत की जा सकती है। उक्त सुविधा केवल इच्छुक कार्ड धारकों को ही उपलब्ध होगी तथा उससे लेनदेन की प्रक्रिया के अधिक सुरक्षित, निरापद एवं सुविधाजनक होने की आशा की जाती है।

पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों के लिए मास्टर निर्देश जारी : वर्गीकरण मानदंड परिवर्तित

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों (PPIs) के संबंध में ऐसे मास्टर निर्देश जारी किए हैं जिनमें इन लिखतों के नए वर्गीकरण शामिल हैं। इन मास्टर निर्देशों के अनुसार कोई भी संस्था/कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व- अनुमोदन अथवा प्राधिकरण के बिना पूर्व-प्रदत्त

लिखतों के लिए भुगतान प्रणालियाँ स्थापित और प्रचालित नहीं कर सकती। इसके आतिरिक्त, बंद प्रणालियों (closed systems), अर्ध बंद प्रणालियों (semi-closed systems) और खुली प्रणालियों (open systems) वाले पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों को अब छोटे पूर्व-प्रदत्त लिखत तथा अपने ग्राहक को जानिए कार्यविधि के पूर्णत: अनुपालक पूर्व-प्रदत्त लिखत के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

विनियामकों के कथन

कोई भी नीतिगत कार्रवाई अत्यधिक सावधानीपूर्वक अंशांकित और सही अवसर पर की जानी चाहिए : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास

वित्त वर्ष 22 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अनुमान के प्रत्युत्तर में गवर्नर ने कहा कि घरेलू कारक मौद्रिक नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। हिन्दू बिजिनेस लाइन को एक साक्षात्कार में गवर्नर ने विशेष रूप से तीन बिन्दुओं पर बल दिया। पहला, उन्होंने आर्थिक पुनरुज्जीवन की प्रक्रिया और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई नीतियों की पृष्ठभूमि में वित्तीय बाजार किस प्रकार पुनरुज्जीवित हुये इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने राजकोषीय, मौद्रिक और सरकारी नीतियों के बीच समन्वय पर बल दिया। दूसरा, उन्होंने मुद्रास्फीति तथा भावी तिमाहियों में स्फीतिकारक मेख (spike) की प्रत्याशा की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आपूर्ति पक्ष के कारकों द्वारा प्रेरित की जा रही उस मुद्रास्फीति का भी जिक्र किया जिससे अर्थव्यवस्था को मांग एवं आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने का समय मिल जाता है। तीसरा, उन्होंने स्थिति के असाधारण, फिर भी अस्थिर होने के तथ्य को रेखांकित किया तथा यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक विशेष रूप से मध्यावधि में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिक स्थायी अवधियों में अपनी नीतिगत दिशा बदल सकता है : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि शीर्ष बैंक केवल आर्थिक गतिविधि में मजबूती और वहनीयता के संकेत दिखाई देने पर ही अपनी नीतिगत दिशा बदलने

के बारे में सोच सकता है। उन्होंने सीएनबीसी एशिया से यह भी कहा कि वर्तमान में दिशा को बदलने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि सक्षमता का उपयोग वैश्विक महामारी के पूर्व वाले स्तरों के आस-पास भी नहीं है और अर्थव्यवस्था में मंदी विद्यमान है। गवर्नर को आशा है कि वर्ष के अंत तक उपभोक्ता मांग "वर्तमान स्तरों" अथवा "उन स्तरों पर दिखाई देने वाले कोविड के प्रभाव ने उनमें कमी लाई," की तुलना में पर्याप्त रूप से बढ़ेगी। निजी क्रिप्टोकरेंसियों के बारे में बात करते हुये गवर्नर ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव के बारे में अब भी चिंतित है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार को और विस्तारित करने की संभाव्यता दिखाई देती है

भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी (derivatives) संघ (FIMMDA FIMMDA) – भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (PDAI) के 21वें सम्मेलन में अपने मुख्य भाषण में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह मत व्यक्त किया है कि भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार के सुदृढ़ विकास के बावजूद उसके उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहने के लिए और अधिक विकास कि संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागारों (ICSDs) के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेनों के अंतर्राष्ट्रीय निपटान को समर्थ बनाने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। जहां विशेष पुनर्खरीद का बाजार प्रतिभूतियों को उधार लेने की सुविधा प्रदान कर रहा है, वहीं ऐसे अन्य विकल्पों पर विचार करना समीचीन होगा जो बाजार को सभी वर्णक्रम की परिपक्वताओं वाली प्रतिभूतियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करते हों।

प्रौद्योगिकी वित्तीय प्रणाली में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का कायापलट कर रही है : मुकेश कुमार जैन

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री मुकेश कुमार जैन ने इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर में अपने वक्तव्य में यह मत व्यक्त किया है कि बैंकों के परंपरागत अधिकार-क्षेत्र में बड़ी टेक फ़र्मों और नवोन्मेषी फिंटेक कंपनियों के प्रवेश जिस रीति से वित्तीय लेनदेन संपादित किए जा रहे हैं उस रीति को ऐसे समय में भी आमूल-चूल बदल दिया है जब बैंक भी प्रौद्योगिकी को उसी गति से अंगीकृत कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे परिदृश्य में जब अंतर्निहित आर्थिक स्थितियाँ बदलती हों, कोई समरूप वित्तीय प्रणाली कमतर आघात-सह होगी तथा वह

प्रणालीगत संकट के प्रति प्रवण होगी। अतएव, उनके संबन्धित खंडों में ऐसी भिन्न-भिन्न संस्थाओं/कंपनियों का होना आवश्यक है जो भिन्न व्यवसाय माडेल अपनाती हों। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि संभवत: सर्वप्रथम उधारकर्ताओं को उस समय उनके संबन्धित खंडों में कठिनाइयों के समय-पूर्व संकेत दिखाई पड़ते हैं, यथा- जब ऋणदाताओं से सूचना को रोक लिया जाता है, तो जोखिम की समय-पूर्व पहचान करने का उनका सामर्थ्य गंभीर रूप से बाधित हो जाता है। उप गवर्नर ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बैंकिंग सेवाओं का पृथक्कीकरण एक वास्तविकता है।

आर्थिक संवेष्टन

जुलाई, 2021 में कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- मुद्रास्फीति 6% की पट्टी पर कायम रही।
- मुद्रास्फीतिकारक उपायों के कारण सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल में हल्की गिरावट आई। जुलाई, 2021 के अंत में 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल जून.2021 के अंत में 6.05% के मुक़ाबले 6.2% हो गया। 10 वर्षीय एएए श्रेणी-निर्धारित कारपोरेट बांड के प्रतिफल में जून, 2021 की तुलना में 9 आधार अंकों की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप वह 6.88% के स्तर पर पहुँच गया।
- जुलाई, 2021 के मध्य में खाद्येतर ऋण के 6.5% के स्तर को पार कर जाने के साथ ही बैंक ऋण वृद्धि में उत्साहवर्धक प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।
- सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पिछले वर्ष की उसी अवधि के 8.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल-मई में दो गुने से अधिक बढ़कर 18.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।
- जुलाई 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 62.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गई, जो 2020-21 के 18 माह के आयात के बराबर है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	27 अगस्त, 2021 के दिन बिलियन रुपए	27 अगस्त, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4669426	633558
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	4212584	571600
(ख) सोना	275932	37441
(ग) विशेष आहरण अधिकार	143028	19407
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	37883	5110

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सितम्बर, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.17200	0.31200	0.53800	0.71700	0.87200
जीबीपी	0.22670	0.4847	0.5785	0.6420	0.6890
यूरो	-0.51000	-0.480	-0.441	-0.3940	**-0.344**
जापानी येन	-0.01630	-0.009	-0.001	-0.002	0.001
कनाडाई डालर	0.58000	0.81000	1.029	1.१91	1.294
आस्ट्रेलियाई डालर	0.09800	0.251	0.450	0.654	0.8१6
स्विस फ्रैंक	-0.67750	-0.663	-0.608	-0.545	-0.473
डैनिश क्रोन	-0.13210	-0.1116	-0.0905	-0.0460	-0.0040
न्यूजीलैंड डालर	0.99750	1.308	1.483	1.585	1.663
स्वीडिश क्रोन	-0.01600	0.072	0.163	0.224	0.302
सिंगापुर डालर	0.27500	0.448	0.710	**0.915**	1.050
हांगकांग डालर	0.24000	0.360	0.560	0.740	0.875
म्यामार	1.95000	2.190	2.400	2.540	2.650

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

भुगतान प्रणाली प्रचालक (PSO)

भुगतान प्रणाली प्रचालक वे होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में किसी भुगतान प्रणाली को प्रारम्भ या प्रचलित करने के लिए प्राधिकृत होते हैं। उसने अब तक भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (वित्तीय बाजार मूलभूत सुविधा - केंद्रीय प्रतिपक्ष), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (खुदरा भुगतान संगठन), कार्ड भुगतान नेटवर्कों, सीमा-पार आवक धन अंतरण संस्थाओं/, एटीएम नेटवर्कों, पूर्व-प्रदत्त लिखत जारीकर्ताओं, तुरंत धन अंतरण प्रचालकों, व्यापार संबंधी प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (TReDS) प्लेटफार्म प्रदाताओं और भारत बिल भुगतान प्रचालन इकाइयों (BBPOUs) जैसे विविध
भुगतान प्रणाली प्रचालकों को देश में भुगतान प्रणाली प्रचालित करने हेतु प्राधिकृत किया है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

परिचालन नकदी अनुपात की व्यापकता (capex)

उक्त अनुपात इसकी मॅप करता है कि किसी कंपनी के परिचालन नकदी प्रवाह का कितना अंश पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं में लगाया गया है। इस अनुपात की गणना करने का सूत्र परिचलनों/कैपेक्स से नकदी प्रवाह के रूप में दिया गया है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

सितंबर, 2021 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	**तिथियाँ**	**स्थान**
विदेशी मुद्रा परिचालन	13 से 15 सितंबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	14 से 16 सितंबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
तुलनपत्र पठन एवं अनुपात विश्लेषण	15 से 16 सितंबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक	27 से 29 सितंबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	21 से 23 सितंबर, 2021	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रशिक्षण प्रमुखों का मानव संसाधन सम्मेलन

विविध सार्वजनिक, निजी, सहकारी बैंकों के प्रशिक्षण प्रमुखों के महा प्रबन्धकों का वार्षिक सम्मेलन 27 अगस्त, 2021 को आयोजित की गई। उदघाटन भाषण यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के अध्यक्ष श्री राजकिरण राय जी॰ द्वारा दिया गया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के महा प्रबन्धक, मानव संसाधन श्री आर॰ गिरिधरन द्वारा मुख्य व्याख्यान दिया गया। एक्सएलआरवाई, ज़ेवियर स्कूल आफ बिजिनेस, दिल्ली कैंपस के निदेशक डा. (फादर) जार्ज सेबास्टियन द्वारा एक विशेष व्याख्यान दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के बैंकों से पैनल सदस्यों के समावेश वाले पैनल को लेकर **"ट्रांसफ़ार्मिंग एच॰ आर॰ इन दि डिजिटल वर्ल्ड"** पर एक पैनल विचार-विमर्श का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन में सभी बैंकों से सहभागियों ने काफी बड़ी संख्या में सहभागिता की।

वर्ष 2021 की परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी के चयनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय करते हुये उसे युक्तिसंगत कर दिया गया है। 2021 और उसके बाद संचालित परीक्षाओं के लिए केवल 6 चयनात्मक विषय उपलब्ध कराये जाएंगे। खुदरा बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग पाठ्यचर्या का भी समावेश होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही इन पाँच चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक ऐसा विषय चुन रखे हैं जिसे 2021 की परीक्षाओं से हटा दिया गया है, उन्हें ऊपर वर्णित 6 चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

सब के लिए ई-शिक्षण सुविधा

संस्थान ने "सब के लिए ई-शिक्षण" की ऐसी सुविधा की शुरूआत की है जिसमें सदस्यता की स्थिति या परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति संस्थान द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग एवं वित्त से संबन्धित विविध सम-सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण माँड्यूल का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जीएआरपी, यूएसए के साथ सहयोग

संस्थान ने जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 300 अमरीकी डालर के बट्टाकृत शुल्क पर वित्तीय जोखिम एवं विनियमन (FRR) पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु ग्लोबल एसोसिएशन आफ रिस्क प्रोफेशनल (GARP), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। उक्त वित्तीय जोखिम एवं विनियमन पाठ्यक्रम जोखिम प्रबंधन अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम तथा आस्ति और देयता प्रबंधन (ALM) के मुख्य पहलुओं पर विहगावलोकन उपलब्ध कराता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए "नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Leadership Development Program)" संचालित करने हेतु एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग का एक करार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों में अच्छे प्रबन्धकों को मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ एक प्रभावी अग्रणी (leader) के रूप में रूपांतरित करना है। प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से सप्ताह के अंत में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की अवधि 36 घंटों की होगी, जो 6 सप्ताहों तक विस्तारित होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जेएएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएएआईआईबी चयनात्मक विषयों की परीक्षा तिथियाँ

जेएएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी परीक्षाएँ 28, 29 अगस्त और 5 सितंबर, 2021 को आयोजित करने का अस्थायी रूप से निर्णय लिया गया है। सीएआईआईबी/ सीएआईआईबी चयनात्मक विषयों की परीक्षा 11वीं, 12वीं और 25 सितंबर, 2021 को आयोजित कने का अस्थायी रूप से निर्णय लिया गया है। उपर्युक्त कार्यक्रम कोविड की स्थितियों पर निर्भर करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा विधि के अधीन दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों की शुरूआत

अक्तूबर, 2021 से दो नयी प्रमाणपत्र परीक्षाएँ परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षा (RPE) विधि से आयोजित की जाएंगी। दोनों नए विषय हैं : स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड इन्फार्मेशन इन बैंकिंग एण्ड इमरजिंग टेक्नोलोजीस। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन

नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

बैंक क्वेस्ट" के जुलाई-सितंबर, 2021 के आगामी अंक के लिए विषय-वस्तु है:
इवोल्यूशन एंड फ्यूचर आफ माँनेटरी एंड फिस्कल पालिसीज- सब थीम : रेग्यूलेटरी फ्रेमवर्क, माँनेटरी फ्रेमवर्क, फिस्कल फ्रेमवर्क"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

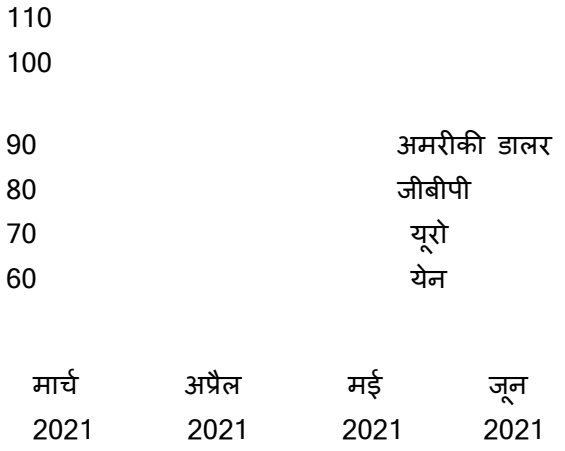

स्रोत : एफबीआईएल

भारित औसत मांग दरें

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

समग्र जमा वृद्धि %

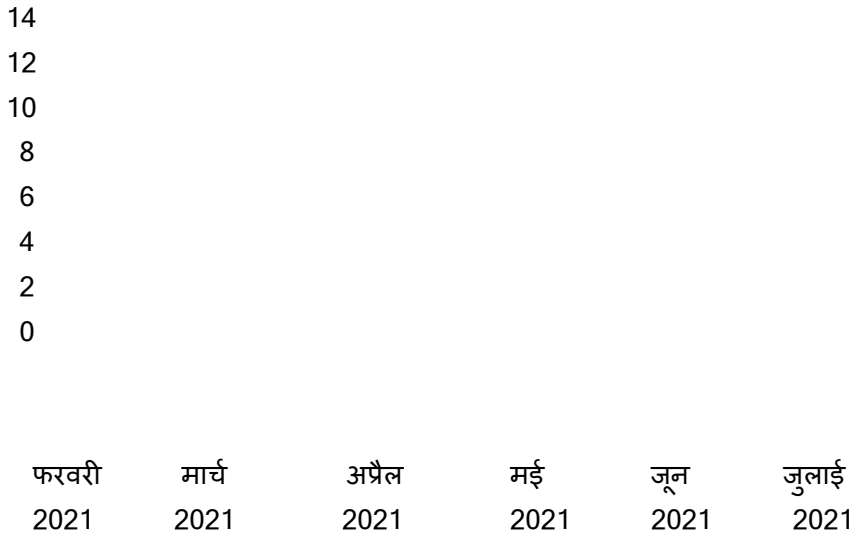

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2021

कच्चा तेल - वृद्धि %

स्रोत : पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय

बैंक ऋण वृद्धि %

6

5.5

5.

फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई
2021	2021	2021	2021	2021	2021

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बंबई शेयर बाजार सूचकांक और निफ्टी 50

60,000.00
55,000.00
50,000.00
45,000.00
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000

मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त
2021	2021	2021	2021	2021	2021

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

7.00
6.5
6
5.5

5

फरवरी 2021 | मार्च 2021 | अप्रैल 2021 | मई 2021 | जून 2021 | जुलाई 2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त, 2021

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि %

6
4
2
0
-2
-4

मार्च 2021 | अप्रैल 2021 | मई 2021 | जून 2021 | जुलाई 2021 | अगस्त 2021

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.